न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण
सत्रवाद संख्या – 547/21
पंजीकरण संख्या – 3/22
बिहार राज्य बनाम राजेश चौधरी व अन्य

12.10.2022 :– सभी तीनों काराधीन अभियुक्तगण राजेश चौधरी, लक्ष्मण चौधरी तथा जितेन्द्र चौधरी को कारा से प्रस्तुत किया गया। कार्यालय दिनांक 28.07.2022 के आदेश का पालन करें। दिनांक 16.11.2022 वास्ते साक्ष्य।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम

पश्चात्,

आवेदक अभियुक्त राजेश चौधरी की ओर से दिनांक 09.03.2022 को दाखिल जमानत आवेदन आज परिचालित किया गया। यह वाद भा.दं.वि. की धारा 307,353,504, 506,34 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25(1–बी)ए,26,27,35 के अन्तर्गत है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 25.02.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मृत्युंजय कुमार सिंह तथा अभियोजन के विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र भारती उपस्थित हुए।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक के विरूद्ध इस केस के अलावे नवलपुर थाना कांड संख्या–39/21, धारा–363,365,34 भा.दं.वि. तथा नवलपुर थाना कांड संख्या–41/21, धारा 25, 26 आर्म्स एक्ट दर्ज है। आवेदक को इस केस में गंदी राजनीति के तहत झूठा फॅसाया गया है। आवेदक के विरूद्ध उक्त धाराएँ लागू नहीं होती है। वाद में आरोप पत्र समर्पित हो चुका है तथा वाद विचारण हेतु दौरा भी सुपुर्द किया जा चुका है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 25.02.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक भविष्य में उचित पैरवी करेगा तथा संबंधित साक्षियों को न तो डरायेगा और न हीं धमकायेगा। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना करते है।

विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक ने जमानत का पुरजोर विरोध करते हुए कहा है कि आवेदक अभियुक्त अपहरण गैंग के सदस्य हैं तथा उसके विरूद्ध अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप है तथा उसके कब्जा से अवैध अग्नेयास्त्र एवं गोली बरामद हुई है जिसकी पुष्टि जप्ती सूची एवं कांड दैनिकी में उपलब्ध साक्ष्य से होती है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उभय पक्षों को सुना व अभिलेख का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी अभियुक्त है तथा उसके विरूद्ध भा.दं.वि. की धारा 307,353,504,506,34 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25(1–बी)ए,26,27,35 के अन्तर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर पुलिस कर्मियों के सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाते हुए जान मारने की नीयत से हमला करने एवं उनपर बंदुक से फायर करने का आरोप है। आवेदक के पास से गोली एवं लोडेड देशी कट्टा बरामद किया गया है, जिसकी तलाशी सह जप्ती सूची पुलिस के द्वारा बनायी गयी है। आवेदक अभियुक्त तथा सह–अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 17.06.2021 को अपराध का संज्ञान भा.दं.वि. की धारा 307,353,504,506,34 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25(1–बी)ए,26,27,35 के अन्तर्गत लिया गया है जिसके आलोक में दिनांक 28.07.2022 को आरोप का गठन किया गया है। वर्तमान में यह वाद अभियोजन साक्ष्य हेतु लंबित है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपित अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम